

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

कुशल सिंह उर्फ ईलु पिता पूरण सिंह राजपूत निवासी हाल हाउसिंग बोर्ड,
गांधीनगर, थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 110/2023 (रा.गु.नि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी उपस्थित। थानाधिकारी, थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 18.09.2024 को गैरसायल के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति पेश की। चूंकि मृत्यु प्रमाण-पत्र अनुसार गैरसायल की दिनांक 04.07.2024 को मृत्यु हो चुकी है। अतः प्रकरण में गैरसायल के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ थानाधिकारी कोतवाली, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	